कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्याः 2165 / कम्प्यु / आठ–209 / 2020 दिनांकः 17 अगस्त, 2020

निविदा सूचना

परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून में स्थापित कम्प्यूटर्स, सर्वर, प्रिन्टर्स, यू0पी0एस0 आदि की वार्षिक मरम्मत हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 07–09–2020 को अपरान्ह 2:00 बजे तक है। उक्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 4:00 बजे खोली जायेगी।

इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्र, सामान्य नियम एवं शर्तें एवं निविदा से सम्बन्धित अन्य विवरण परिवहन विभाग की वेबसाईट transport.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते है।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्याः 2165 / कम्प्यु / आठ–209 / 2020 दिनांकः 17 अगस्त, 2020

निविदा प्रपत्र

मूल्य रू. 100 /– +18 %GST

1– कम्प्यूटर्स, स्केनर, सर्वर, प्रिन्टर्स, यू0पी0एस आदि की वार्षिक मरम्मत

निविदा जमा करने की तिथि 07–09–2020 समय 2.00 बजे अपराहन
निविदा खोलने की तिथि 07–09–2020 समय 4.00 बजे अपराहन

निविदादाता द्वारा भरा जायेगा

1– (अ) निविदा दाता का नाम ....
(ब) पता ....
....
....
(स) दूरभाष नम्बर ....
(द) फैक्स नम्बर ....

2– GST पंजीकरण संख्या (यदि कोई हो) ....

3– व्यापर कर रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं तिथि ....

4– आयकर पैन नम्बर ....

5– दो / तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र ....
(अ) क्लाइन्ट का नाम एवं पता ....
(ब) राशि रूपयों में ....

6– यदि आप किसी कम्पनी के उपकरणों की सर्विस करने के लिये अधिकृत हैं तो कृपया प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए। ....
(अधिकृत सर्विस सेन्टर / सर्विस हेतु अधिकृत का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए)

7– निविदा दाता की विधिक स्थिति (व्यक्तिगत / पार्टनरशिप / फर्म / कम्पनी) ....

8– निविदा दाता के पास कम्प्यूटर इंजीनियर्स की संख्या एवं लोकेशन ....

हस्ताक्षर एवं मुहर

निविदादाता

सामान्य नियम एवं शर्तें

(1) प्रपत्र शुल्क

निविदा प्रपत्र सामान्य नियम एवं शर्ते व अन्य विवरण राज्य सरकार की वेबसाईट (transportuk.gov.in) में उपलब्ध कराये गये है। इच्छुक प्रतिभागी द्वारा निविदा प्रपत्र उक्त वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये जाने की स्थिति में प्रतिभाग करने वाली फर्म को निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 100+18% GST निविदा प्रपत्र शुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट, जो परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के नाम पर हो और देहरादून में देय हो, साथ संलग्न किया जायेगा।

(2) धरोहर धनराशि

निविदा के साथ जमा कराई गयी रूपये 5000.00 (रूपये पॉच हजार मात्र) की धनराशि, बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक, परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम बना कर जमा करना अनिवार्य होगा, जो कि निविदा अस्वीकृत होने की दशा में वापिस कर दिया जायेगा।

(3) प्रमाण पत्र

इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि निविदा दाता का नाम, शासन, राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा निगम और परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की काली सूची में अंकित नही है?

(4) रख–रखाव के अन्तर्गत सम्मिलित अवयव

इस रख–रखाव करार के अन्तर्गत उपकरणों की मरम्मत के साथ–साथ, पार्ट्स भी सम्मिलित है। यदि इस अवधि में उपरोक्त उपकरणों में आई खराबी की मरम्मत द्वितीय पक्ष द्वारा की जाएगी परन्तु यदि कोई पार्ट मरम्मत योग्य नहीं होगा तो उसका प्रतिस्थान नए पार्ट से द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाएगा, जिसके लिये कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी। इस करार में कन्ज्यूमेबुल्स अर्थात्–यूपीएस बैट्री, प्रोजेक्टर लैम्प, प्रिन्टर कार्टेज/टोनर/रिबन सम्मिलित नहीं है।

(5) उपकरणों की मरम्मत हेतु सूचना का प्रेषण एवं सेवा प्रदाय

सभी कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरण परिवहन आयुक्त कार्यालय, कुल्हान सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में सथापित हैं। कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों की खराबी की लिखित सूचना/दूरभाष की सूचना पर उसी दिन मरम्मत करना एवं आवश्यकतानुसार पार्टस आदि बदलना फर्म का दायित्व होगा। पार्ट्स सहित दरों में कन्ज्यूमेबुल्स अर्थात– यूपीएस बैट्री, प्रोजेक्टर लैम्प, प्रिन्टर .कार्टेज, रिबन सम्मिलित नहीं होंगे।

(6) भुगतान की रीति

उपरोक्तानुसार तय पाई गयी ए0एम0सी0 (वार्षिक रख–रखाव करार) धनराशि का भुगतान छमाही आधार पर चार समान किश्तों में किया जायेगा, प्रथम किश्त 06 माह के बाद भुगतान होगी तथा अंतिम किश्त का भुगतान करार समाप्ति के उपरान्त किया जायेगा।

(7) करार के मध्य दरों में संशोधन

उपरोक्त दरें दो वर्ष की अवधि के लिये वैध हैं। करार की अवधि में दरों में कोई संशोधन अथवा परिवर्तन किसी भी पक्ष द्वारा नहीं किया जाएगा। परन्तु यह कि यदि करार की अवधि के बीच कोई उपकरण निष्प्रोज्य हो जाता है तो आगामी अवधि के लिए उक्त उपकरण की धनराशि करार की धनराशि से विहित दरों पर घटा दी जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई नया उपकारण करार में सम्मिलित किया जाता है तो उपरोक्त दरों पर धनराशि जोड़ दी जाएगी।

(8) करार का निरस्तीकरण

(1) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि द्वितीय पक्ष समय पर सेवायें उपलब्ध कराने में असमर्थ है अथवा उसके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं संतोषजनक नहीं है, तो करार को निरस्त करने का अधिकार परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पास सुरक्षित होगा। जिसके लिये द्वितीय पक्ष को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी और धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

(2) यदि भविष्य में किसी समय यह पाया जाता है कि किसी राज्य सरकार के विभाग/संस्था/उपक्रम अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग/संस्था/उपक्रम द्वारा द्वितीय पक्ष को ब्लैक लिस्ट किया गया है, तो उक्त करार निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी और धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी, जिसके लिये द्वितीय पक्ष किसी क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा।

(9) अनुबन्ध की अन्य शर्तें

(1) प्रतिस्थापित किये जाने वाले पार्ट उचित गुणवत्ता एवं ओईएम निर्माता द्वारा ही निर्मित होने चाहिये, इसका दायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा।

(2) कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों को स्थापित स्थान पर ही ठीक करना होग। विशेष परिस्थितियों में यदि आवश्यक हो तो खराब उपकरणों को स्टैण्डबाई की व्यवस्था पर फर्म के वर्कशॉप पर ले जाने की अनुमति दी जा सकेगी।

(3) कम्प्यूटर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों पर अपेक्षित सभी अनुरक्षण–मरम्मत कार्य फर्म द्वारा तकनीकी रूप से सक्षम इंजीनियरों द्वारा ही कराया जायेगा।

(4) कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अनुबनध समाप्त करने का एकपक्षीय अधिकार परिवहन आयुक्त का होग।

(5) निविदा स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार समिति के पास सुरक्षित है, निविदा स्वीकृत करने हेतु दरों, आपूर्ति की गुणवत्ता तथा फर्म के प्रोफाईल एवं पुरानी परफारमैन्स को ध्यान में रख कर निर्णय लिया जाएगा।

(6) स्वीकृत दरें अनुबन्ध लागू होने की तिथि से दो वर्ष तक के लिये अनुमन्य होगी।

(7) दरें (पार्ट्स सहित एवं पार्ट्स रहित पृथक–पृथक) शब्दों एव अंको में स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए, किसी प्रकार की कटिंग होने पर उसे प्रमाणित किया जाना होगा।

(8) दरें सभी करों/सर्विस टैक्स सहित हैं अतः देय कर अथवा टैक्स आदि का भुगतान सम्बन्धित विभाग को करते हुए उसका प्रमाण भी अंतिम भुगतान के समय प्रस्तुत करना होगा।

(9) समिति द्वारा पार्ट्स सहित अथवा पार्ट्स रहित कार्य आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय प्राप्त दरों के आधार पर लिया जाएगा। सफल निविदादाता का मूल्यांकन निविदादाता द्वारा दी गयी दरों के आधार पर कुल योग के न्यूनतम के आधार पर किया जाएगा।

(10) निविदा प्रपत्र शुल्क धनराशि एवं निविदा प्रतिभूति संलग्न न होने की दशा में निविदा प्रपत्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार का Exemption सम्बन्धी प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(11) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र देहरादून होगा।

(12) दरें सभी करों सहित आमंत्रित की गयी है, अतः दरें सभी करों/सर्विस टैक्स सहित इंगित की जाये, बाद में कोई भी कर–सर्विस टैक्स देय नही होगा। परन्तु यदि करार की अवधि के बीच में कर–सर्विस टैक्स आदि की दरो में वृद्धि होती है, तो तद्नुसार वृद्धि के अन्तर का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा। देय कर अथवा सर्विस टैक्स आदि का भुगतान सम्बन्धित विभाग को करते हुए उसका प्रमाण भी अंतिम भुगतान के समय प्रस्तुत करना होगा।

परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड

क0स0	विवरण	कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरणों की संख्या
1	कम्प्यूटर पीसी (एचसीएल, एचपी, एसर)	33
2	लैप टॉप (एप्पल)	08
3	प्रिन्टर लेजर (एचपी ब्लैक एण्ड व्हाइट)	30
4	शार्प लेजर जैट ब्लैक प्रिन्टर मल्टीफंक्शन	11
5	मल्टीफंक्शन एचपी डैक्स जैट 3225 कलर प्रिन्टर ऑल इन वन, मल्टीफंक्शन इप्सॉन कलर प्रिन्टर	03
6	प्रोजेक्टर (एचपी, सैमसंग)	02
7	यूपीएस 10 केवीए	02
8	नेटवर्क स्वीच	06
9	राउटर	02
10	पैच पैनल	05
11	टी0वी0 वॉल मॉनिटर/स्क्रीन	09

(उपरोक्ता सामग्री की संख्या में परिवर्तन संभव है।)

हस्ताक्षर एवं मुहर

निविदादाता

वार्षिक अनुरक्षण की दर सभी करों सहित
(पार्ट्स सहित)
(कन्ज्यूमेबुल्स अर्थात– यूपीएस बैट्री, प्रोजेक्टर लैम्प, प्रिन्टर कार्टेज, रिबन को छोडकर)

क0स0	विवरण	संख्या	दर प्रति नग अंको में	दर प्रति नग शब्दों में	गणना संख्या x दर प्रति नग	कुल धनराशि
1	कम्प्यूटर पीसी (एचसीएल, एचपी, एसर)	33			33 X	
2	लैप टॉप (एप्पल)	08			08 X	
3	प्रिन्टर लेजर (एचपी ब्लैक एण्ड व्हाइट)	30			30 X	
4	शार्प लेजर जैट ब्लैक प्रिन्टर मल्टीफंक्शन	11			11 X	
5	मल्टीफंक्शन एचपी डैक्स जैट 3225 कलर प्रिन्टर ऑल इन वन, मल्टीफंक्शन इप्सॉन कलर प्रिन्टर	03			03 X	
6	प्रोजेक्टर (एचपी, सैमसंग)	02			02 X	
7	यूपीएस 10 केवीए	02			02 X	
8	नेटवर्क स्वीच	06			16 X	
9	राउटर	02			02 X	
10	पैच पैनल	05			05 X	
11	टी0वी0 वॉल मॉनिटर / स्क्रीन	09			09 X	
	योग					

कुल योग– (शब्दों में)

हस्ताक्षर एवं मुहर

निविदादाता

वार्षिक अनुरक्षण की दर सभी करों सहित
(पार्ट्स रहित)

क0स0	विवरण	संख्या	दर प्रति नग अंको में	दर प्रति नग शब्दों में	गणना संख्या x दर प्रति नग	कुल धनराशि
1	कम्प्यूटर पीसी (एचसीएल, एचपी, एसर)	33			33 X	
2	लैप टॉप (एप्पल)	08			08 X	
3	प्रिन्टर लेजर (एचपी ब्लैक एण्ड व्हाइट)	30			30 X	
4	शार्प लेजर जैट ब्लैक प्रिन्टर मल्टीफंक्शन	11			11 X	
5	मल्टीफंक्शन एचपी डैक्स जैट 3225 कलर प्रिन्टर ऑल इन वन, मल्टीफंक्शन इप्सॉन कलर प्रिन्टर	03			03 X	
6	प्रोजेक्टर (एचपी, सैमसंग)	02			02 X	
7	यूपीएस 10 केवीए	02			02 X	
8	नेटवर्क स्वीच	06			16 X	
9	राउटर	02			02 X	
10	पैच पैनल	05			05 X	
11	टी0वी0 वॉल मॉनिटर/स्क्रीन	09			09 X	
	योग					

कुल योग– (शब्दों में)

हस्ताक्षर एवं मुहर

निविदादाता